राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर.

अपील संख्या – 643/2010/कोटा

मैसर्स प्रदीप कन्सट्रक्शन, कोटा। .....अपीलार्थी.

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वर्क्स कॉन्ट्रेक्ट एण्ड लीजिंग टैक्स, कोटा। .....प्रत्यर्थी.

खण्डपीठ
श्री सुनील शर्मा, सदस्य
श्री मदन लाल, सदस्य

उपस्थित : :

श्री मदन मोहन शर्मा, अधिवक्ता .....अपीलार्थी की ओर से.

श्री अनिल पोखरणा,
उप राजकीय अधिवक्ता । .....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 23.06.2014

निर्णय

अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर, अजमेर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक **10.03.2010** के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है तथा जो अपील संख्या 128/वेट/2009–10/कोटा के संबंध में है जिसमें अपीलार्थी व्यवहारी ने वाणिज्यिक कर अधिकारी, वर्क्स कॉंट्रेक्ट एवम् लीजिंग टैक्स, कोटा (जिसे आगे "निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) के प्रावधानान्तर्गत पारित आदेश दिनांक 27.08.2009 की पुष्टि अपीलीय अधिकारी द्वारा किये जाने को विवादित किया गया है ।

प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी व्यवहारी ठेकेदारी का कार्य करता है। अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा दिनांक 09.03.2009 से 08.09.2009 की अवधि के दौरान राजस्थान हाऊसिंग बोर्ड, डिविजन–कोटा से कार्य संविदा संख्या 1208 दिनांक 02.03.2009 द्वारा "Work of construction and repair and maintenance of Drain, culvert and Park at Kunhari, Kota." आदि का रूपये 15,03,728/– का कार्य प्राप्त किया गया। उक्त प्राप्त कार्य संविदा के लिये मुक्ति प्रमाण पत्र (Exemption Certificate) प्राप्त करने हेतु अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रपत्र WT-1 में संविदा कार्यों की प्रकृति के तहत् 1.5 प्रतिशत से कर मुक्ति पात्रता प्रमाण पत्र जारी करने हेतु दिनांक 27.08.2009 को प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया । प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी ने अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्राप्त कार्य संविदा को राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या एफ. 12(63)एफडी/टैक्स/2005–80 दिनांक 11.08.2006 की प्रविष्टि संख्या–04 से आच्छादित होना अवधारित कर, 3 प्रतिशत की दर से मुक्ति शुल्क देय होना निर्धारित किया गया। उक्त से व्यथित होकर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार कर दी गयी। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।

उभयपक्षीय बहस सुनी गयी।

लगातार.....2

अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने उपस्थित होकर राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना कमांक एफ.12(15)एफडी/टैक्स/12–114दिनांक 26.03.2012 को प्रोद्धरित कर कथन किया कि राज्य सरकार द्वारा उक्त अधिसूचना के जरिये पूर्व में जारी अधिसूचना दिनांक 11.08.2006 के आईटम कमांक–2 में संशोधन कर, निम्न प्रकार के कार्यों को 1 प्रतिशत की कर दर से मुक्ति शुल्क निर्धारित किये जाने के प्रावधान किये गये हैं । इस संबंध में उक्त अधिसूचना दिनांक 26.03.2012 के द्वारा आईटम संख्या–2 में निम्न प्रकार संशोधन किया गया है "Works contract relating to EPC Turnkey power projects awarded by Rajasthan Rajya Vidyut Utpadan Nigam Ltd. Works contract relating to construction of roads, runways, bridgesm dams, drains, tunnels, channels, barrages, diversion, railway tracks, causeways, subways, splitways, boundary walls and water harvesting structures." कथन किया कि उक्त संशोधन में किसी भी प्रकार के कन्सट्रक्शन कार्य के लिये 1 प्रतिशत की दर से मुक्ति शुल्क के निर्धारित हेतु आदेश प्रसारित किये गये हैं। इसी कम में कथन किया कि पुनः राज्य सरकार द्वारा जरिये अधिसूचना कमांक एफ12/(11)/एफडी/टैक्स/2013–113 दिनांक 06.03.2013 के जरिये अधिसूचना दिनांक 26.03.2012 में "Works contract relating to construction" के स्थान पर "Works contract relating to construction and repair"को जोड़ा गया है। अतः अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्राप्त कार्य संविदा कार्य भी ऊपर वर्णित अधिसूचना दिनांक 26.03.2013 से आच्छादित होने के कारण अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्राप्त कार्य संविदा 1.5 प्रतिशत की दर से मुक्ति शुल्क निर्धारित योग्य है। अतः दोनों अवर अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों को अपास्त कर, प्रकरण प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित करने का निवेदन कर, तद्नुसार ही मुक्ति शुल्क जारी करने हेतु निर्देशित करने की प्रार्थना की गयी ।

प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने उपस्थित होकर दोनों अवर अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों का समर्थन कर, अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार करने की प्रार्थना की गयी।

उभयपक्षीय बहस सुनी गयी व संदर्भित अधिसूचनाओं व रिकॉर्ड का अध्ययन किया गया। इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा जारी **अधिसूचना संख्या एफ.12(63)एफडी/टैक्स/2005–80 दिनांक 11.08.2006** का अध्ययन किया गया जिसका मूल पठन इस प्रकार है:–

Item No.	Description of work contract	Rate of exemption fee% of the total value of the contract
1	[***]	
2	Works contracts relating to building, road, bridges, dams, canals, sewerages system	1.50%
3	Works contract relating to installation of plants and machinery including pspo, water treatment plant, lying of pipe line with material.	2.25
4	Any other kind of works contract not covered by item Nos.[***], 2 and 3	3.00%

लगातार.....3

उपर्युक्त अधिसूचना दिनांक 11.08.2006 का अध्ययन करने पर यह विदित होता है कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्राप्त कार्य आदेश जो अवधि दिनांक 09.03.2009 से 08.09.2009 से संबंधित है अर्थात् निर्धारण वर्ष 2008–09 व निर्धारण वर्ष 2009–10 से संबंधित है जिसमें हस्तगत संविदा कार्य शामिल नहीं है व अधिसूचना में दिये गये/अंकित संविदा कार्यों के अतिरेक नहीं पढ़ा जा सकता है। राज्य सरकार द्वारा उपर वर्णित अधिसूचनायें जो क्रमशः दिनांक 26.03.2012 व दिनांक 06.03.2013 को जारी की गयी है, निर्धारण वर्ष 2012–13 से संबंधित है जिसको हस्तगत प्रकरण में लागू नहीं किया जा सकता। अतः अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्राप्त कार्यादेश 3 प्रतिशत की दर से प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा तद्नुसार मुक्ति शुल्क जारी किया गया है। जिसकी पुष्टि करने में विद्वान अपीलीय अधिकारी द्वारा कोई विधिक त्रुटि नहीं की गयी है। फलस्वरूप, अपीलीय आदेश की पुष्टि की जाकर, अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है ।

परिणामतः, अपील अस्वीकार की जाती है ।

निर्णय सुनाया गया।

23.6.2014

(मदन लाल)
सदस्य

(सुनील शर्मा)
सदस्य